

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0) .

पीठासीन अधिकारी:- श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-210/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183-187 बी0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्रीमति इन्दिरा देवी पत्नि कविशंकर आचार्य, उम्र बालिग निवासी मांडल तहसील

मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----वादिया

बनाम

श्री शंकरसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी गुडड़ा तहसील मांडल

जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रतिवादी

वादिया की ओर से श्री [REDACTED], एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 12.11.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्च लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गुडड़ा पटवार हल्का संतोकपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 730/532 रकबा 8 बिस्वा भूमि में से पूर्वी-पश्चिमी भुजा 49.4 फीट, उत्तरी भुजा 63.8 फीट, तथा दक्षिणी भुजा 72 फीट कुल 560 फीट के पूर्वी भाग पर प्रतिवादी द्वारा किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार ध्वस्त करते हुये कब्जा पुनः वादिा को दिलाया जावे। अगर कब्जा प्रतिवादी द्वारा नहीं दिये जाने पर पुलिस सहायता प्राप्त करते हुये कब्जा वादिया को दिलाया जावे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(देवी सिंह रावत)

आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 12.11.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा